

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

जयदीप प्रसाद पुत्र बीराराम बनाम देवूराम पुत्र ईशरा भाली वगै०

विक्रम मुकदमा - विविध कैवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर-160/

तारीख मुद्रा	मुद्रा या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व अहकाम मुद्रा व में जारी
--------------	--------------------------------------	---------------------------------

28.11.2025

प्राथी की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत द्वारा के उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीटेली पूर्व में दिनांक 08.07.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश की गई थी। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीटेली में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई जदवज/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को न्यायालय में पेश हुए 90 दिवस से भी अधिक का समय हो चुका है। जिसके कारण उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से इस कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता हैं। पत्रावली फैसल चुनार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

